

प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962

पत्रांक 2558 / 12-1 दिनांक, 20/01/2018

सेवा में;

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,

अल्मोड़ा।



विषय :- जनपद अल्मोड़ा क विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत बसोलीखान-बिरकोला-सलफड़-चिरकोली-तल्ला

सेराघाट मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या-11269/2015)।

संदर्भ :- आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के कम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा बिन्दु सं0 1 से 9 तक लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रतिउत्तर निम्नानुसार बिन्दुवार आनलाईन महोदय की सेवा में प्रेषित की जारी है।

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	Total Period for which proposed forest land to be diverted is not mentioned in part I	प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु भूमि लीज में नहीं ली जाती है मोटर मार्ग का निर्माण हमेशा के लिए किया जाता है। जिसे पार्ट-1 में अंकित कर आनलाईन प्रेषित किया जा रहा है। पार्ट-1 के ई सैक्सन में अंकित कर दिया गया है।
2	Employment generation details are not provided in part I.	
3	The cost benefit analysis provided in Annexure VI B and C is not Quantified in monetary terms the state govt. may provided the revised C/B analysis with proper quantification.	लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र पार्ट-1 के जी सैक्सन में अपलोड कर आनलाईन प्रेषित।
4	The total area proposed for diversion is not matching with the area details provide in component wise and village wise break up in part I.	विपेज वाईज डिटेल व कम्पोजेन्ट ब्रेक अप सही कर पार्ट-1 में अंकित कर आनलाईन प्रेषित किया जा रहा है।
5	Component wise break up os just a repetition of village wise break up in part I. the component wise break up should involve the area .	Component wise break up सही कर आनलाईन प्रेषित किया जा रहा है।
6	The proposed diversion involved 8 village as per detail furnished in village wise breakup in part I but the village level proceeding provided for only one gram panchayat mentioning.	वनाधिकारी अधिनियम 2006 के प्रमाण-पत्र में 3 गांव के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा रहे है। 5 गांव इन्ही गांव के तोक है।
7	GIS software generated geo referenced map showing geo-Coordinate for all corners of the Ca site may upload in the designated column in part I and II google map will not be accepted for the purpose.	भूतिलोक वृक्षारोपण स्थल मानचित्र में डिजिटल मैप व को आर्डिनेट मैप पोलीगन में तैयार कर पार्ट-1 के एल सैक्सन में अपलोड कर आनलाईन प्रेषित किया जा रहा है।
8	68 trees per ha does not account for 0.5 density. The state govt may review the density and NPV calculation and provide with necessary correction.	सशोधित एन0पी0वी0 की दरें पार्ट-11 के Additional information में अपलोड कर दी गयी है।
9	Brief note on vulnerability of the forest area to erosion is not clearly defined in part II with all protective measure if required.	पार्ट-11 के पैरा 6 में Brief note की सूचना सही कर दी गयी है।

अतः सूचनार्थ महोदय की सेवा में प्रेषित।

भवदीय,

(आर0सी0शर्मा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,